रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 1974/वैशाख 24, 1896

No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 1974/VAISAKHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library 14 JUN 1974 Govt. of India

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 14th May 1974

S. O. 291(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 1974.

2. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962,—

(1) in Form No. 1,—

(a) in Part II, item 5 shall be re-numbered as item 6, and before item 6 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

"5. Insurance commission" ;

(b) in Annexure D, in Part II, for the words, figures and letter "*Deduct* : Amount exempt under sec. 53 or 54B, the words, figures and letters "*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54B or 54D" shall be substituted ;

(c) in Annexure G, for the existing Part III, the following Part shall be substituted, namely :—

"PART III : PARTICULARS REGARDING LIABILITY TO DEDUCT TAX AT SOURCE DURING THE PREVIOUS YEAR

	Under section							
	192	193	194	194A	194B	194C	194D	195
1. Were you liable to deduct tax at source ?								
2. Has such tax been deducted at source ?								
3. Has such tax been paid to the Central Government ?								
4. Have the prescribed returns been furnished to the ITO(s) concerned ? If so, to whom ?								

(2) in Form No. 2,—

(a) in Part I,—

(i) for the existing heading "STATEMENT OF TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME UNDER CHAPTER V OF THE ACT)", the following heading shall be substituted, namely :—

"STATEMENT OF TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME UNDER CHAPTER V OF THE ACT) AND NET AGRICULTURAL INCOME";

(ii) after item 12, the following item shall be inserted, namely :—

"13. NET AGRICULTURAL INCOME (See Annexure H)" ;

(b) in Part II, item 6 shall be re-numbered as item 7, and before item 7 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

"6. Insurance commission" ;

(c) in Annexure E, in Part II, for the words, letters and figures "*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54C", the words, figures and letters "*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54, 54B, 54C or 54D" shall be substituted ;

(d) Annexure H shall be re-lettered as Annexure I, and before Annexure I as so re-lettered, the following Annexure shall be inserted, namely :—

"ANNEXURE H : COMPUTATION OF NET AGRICULTURAL INCOME

(For assessees other than co-operative societies, registered firms or local authorities)

S.No.	Particulars	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Rent or revenue derived from land used for agricultural purposes. [Sec. 2(1)(a)]	
2.	Income from any building required as a dwelling house by the cultivator, etc. [Sec. 2(1)(c)]	
3.	Other agricultural income not being income from sale of tea referred to in item 4. [Sec.2(1)(b) & (c)]	
4.	Sixty per cent. of the income from sale of tea grown and manufactured in India as computed under rule 8.	
5.	Share of agricultural income from registered firm/unregistered firm/association of persons, etc. computed in accordance with the rules for computation of net agricultural income in the relevant Finance Act.	
6.	Aggregate of items 1 to 5 (subject to adjustment of losses in accordance with the rules for computation of net agricultural income in the relevant Finance Act).	
7.	*Less* : Agricultural income-tax payable to the State Government on the agricultural income of the previous year.	
8.	Net agricultural income (6-7) carried to item 13 on page 1.	

NOTE.—Attach separate statements giving detailed computation of agricultural income shown against items 1 to 5 above. The computation has to be made in accordance with the rules in the relevant Finance Act." ;

(e) in Annexure I as re-lettered,—

(i) in Part I, for item 2, the following item shall be substituted, namely :—

"2. In the case of a Hindu undivided family, whether the family has at least one member whose total income assessable for the assessment year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income-tax If the reply to this question is in the negative, please attach declarations to this effect from all members of the Hindu undivided family." ;

(ii) for Part II, the following Part shall be substituted, namely :—

"PART II : PARTICULARS REGARDING LIABILITY TO DEDUCT TAX AT SOURCE DURING THE PREVIOUS YEAR

	Under section						
	192	193	194A	194B	194C	194D	195
1. Were you liable to deduct tax at source ?							
2. Has such tax been deducted at source ?							
3. Has such tax been paid to the Central Government ?							
4. Have the prescribed returns been furnished to the ITO(s) concerned ? If so, to whom ?							

(3) in Form No. 3,—

(a) in Part I,—

(i) for the existing heading "Statement of Total Income (Including Income Under Chapter V of the Act)", the following heading shall be substituted, namely :—

"STATEMENT OF TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME UNDER CHAPTER V OF THE ACT) AND NET AGRICULTURAL INCOME";

(ii) After item 11, the following item shall be inserted, namely :—

"12. NET AGRICULTURAL INCOME (See Annexure E)" ;

(b) In part II, item 6 shall be re-numbered as item 7, and before item 7 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

"6. Insurance Commission" ;

(c) Annexure E shall be re-lettered as Annexure F, and before Annexure F as so re-lettered, the following Annexure shall be inserted, namely :—

"ANNEXURE E : COMPUTATION OF NET AGRICULTURAL INCOME

(For assessees other than co-operative societies, registered firms or local authorities)

S. No.	Particulars	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Rent or revenue derived from land used for agricultural purposes. [Sec. 2 (1) (a)]	
2.	Income from any building required as a dwelling house by the cultivator, etc. [Sec. 2 (1) (c)]	
3.	Other agricultural income not being income from sale of tea referred to in item 4. [Sec. 2 (1) (b) & (c)]	
4.	Sixty per cent of the income from sale of tea grown and manufactured in India as computed under rule 8.	
5.	Share of agricultural income from registered firm/unregistered firm/ association of persons, etc. computed in accordance with the rules for computation of net agricultural income in the relevant Finance Act.	
6.	Aggregate of items 1 to 5 (subject to adjustment of losses in accordance with the rules for computation of net agricultural income in the relevant Finance Act).	
7.	*Less* : Agricultural income-tax payable to the State Government on the agricultural income of the previous year.	
8.	Net agricultural income (6-7) carried to item 12 on page 1.	

NOTE.—Attach separate statements giving detailed computation of agricultural income shown against items 1 to 5 above. The computation has to be made in accordance with the rules in the relevant Finance Act." ;

(d) in Annexure F as re-lettered, for item 2, the following item shall be substituted, namely:—

"2. In the case of a Hindu undivided family, whether the family has at least one member, whose total income assessable for the assessment year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income-tax? If the reply to this question is in the negative, please attach declarations to this effect from all members of the Hindu undivided family." ;

(4) in Form No. 3A,—

(a) in part I,—

(i) for the existing heading "Statement of Total Income" the following heading shal be substituted, namely :—

"STATEMENT OF TOTAL INCOME AND NET AGRICULTURAL INCOME" ;

(ii) After item 15, the following item shall be inserted, namely :—

"16. NET AGRICULTURAL INCOME (See Annexure J)";

(b) in Annexure D, in part II for the words, figures and letter "Deduct : Amount exempt under sec. 53 or 54B", the words, figures and letters "*Deduct* : Amount exempt under section 53, 54B or 54D" shall be substituted ;

(c) Annexure J shall be re-lettered as Annexure K, and before Annexure K as so re-lettered, the following Annexure shall be inserted, namely :—

"ANNEXURE J : COMPUTATION OF NET AGRICULTURAL INCOME

(For assessees other than companies, co-operative societies, registered firms or local authorities)

S. No.	Particulars	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Rent or revenue derived from land used for agricultural purposes. [Sec. 2 (1) (a)]	
2.	Income from any building required as a dwelling house by the cultivator etc. [Sec. 2 (1) (c)]	
3.	Other agricultural income not being income from sale of tea referred to in item 4. [Sec. 2 (1) (b) & (c)]	
4.	Sixty per cent. of the income from sale of tea grown and manufactured in India as computed under rule 8.	
5.	Share of agricultural income from registered firm/unregitered firm/ association of persons, etc. computed in accordance with the rules for computation of net agricultural income in the relevant Finance Act.	
6.	Aggregate of items 1 to 5 (subject to adjustment of losses in accordance with the rules for computation of net agricultural income in the relevant Finance Act).	
7.	*Less* : Agricultural income-tax payable to the State Government on the agricultural income of the previous year.	
8.	Net agricultural income (6-7) carried to item 16 on page 2.	

NOTE.—Attach separate statements giving detailed computation of agricultural income shown against items 1 to 5 above. The computation has to be made in accordance with the rules in the relevant Finance Act.".

[No. 615/F. No. 142 (24)/73-TPL]

O. P. BHARDWAJ Secy

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 14 मई, 1974

का० आ० 291(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (61 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम 1 जून, 1974 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 11 में, —

(i) प्रारूप संख्या 7 में, —

(क) भाग II. में, मद 5 को मद 6 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद 6 के पूर्व निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"5. बीमा कमीशन";

(ख) उपाबंध घ में, भाग 2 में, "कटौती कीजिए :

धारा 53 या 54 ख के अधीन छूट प्राप्त रकम" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "कटौती कीजिए : धारा 53, 54 ख या 54 घ के अधीन छूट प्राप्त रकम" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(ग) उपाबंध छ में, विद्यमान भाग 3 के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात :—

"भाग 3 : पूर्व वर्ष के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के दायित्व से संबंधित विशिष्टियां :—

	धारा के अधीन							
	192	193	194	194क	194ख	194ग	194घ	195
1. क्या आप स्रोत पर कर की कटौती के जिम्मेदार थे ?								
2. क्या ऐसे कर की कटौती स्रोत पर की गई है ?								

	धारा के अधीन							
	192	193	194	194क	194ख	194ग	194घ	195
3. क्या ऐसा कर केन्द्रीय सरकार को संदत्त किया गया है ?								
4. क्या विहित विवरणियां संबद्ध आय-कर अधिकारी (अधिकारियों) को दी गई है ? यदि हां, तो किस को ?								

(2) प्रारूप सं० 2 में, —

(क) भाग I में, —

(i) "कुल आय (जिसके अन्तर्गत अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन की आय भी है) का विवरण विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कुल आय (जिसके अन्तर्गत अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन की आय भी है) और शुद्ध कृषि आय का विवरण" ;

(ii) मद 12 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"13. शुद्ध कृषि आय (उपाबंध ज देखिए)" ;

(ख) भाग 2 में, मद 6 को मद 7 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित मद 7 के पूर्व निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6. बीमा कमीशन";

(ग) उपाबंध ङ० में, भाग 2 में, "**कटौती कीजिए** : धारा 53, 54, 54ख या 54ग के अधीन छूट प्राप्त रकम" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "**कटौती कीजिए** : धारा 53, 54, 54ख, 54ग या 54घ के अधीन छूट प्राप्त रकम" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपाबंध ज को उपाबंध झ के रूप में पुनराक्षरित किया जाएगा और इस प्रकार पुनराक्षरित उपाबंध झ के पूर्व निम्नलिखित उपाबंध अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबंध ज : शुद्ध कृषि आय की संगणना (सहकारी सोसाइटियों, रजिस्ट्रीकृत फर्मों या स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न निर्धारितियों के लिए) ।

क्रम सं०	विशिष्टियां	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से व्युत्पन्न भाटक या आमदनी । धारा (2)(1) (क) देखिए) ।	
2.	कृषक, आदि द्वारा निवास गृह के रूप में अपेक्षित किसी भवन से आय । (धारा 2 (1)(ग) देखिए) ।	
3.	अन्य कृषि संबंधी आय, जो मद 4 में निर्दिष्ट चाय के विक्रय से आय न हो । (धारा 2(1) (ख) और (ग) देखिए) ।	
4.	नियम 8 के अधीन यथा संगणित भारत में उगाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय का साठ प्रतिशत ।	
5.	सुसंगत वित्त अधिनियम में शुद्ध कृषि आय की संगणना के लिए नियमों के अनुसार संगणित रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति-संगम, आदि से कृषि संबंधी आय का अंश ।	
6.	मद 1 से 5 का योग (सुसंगत वित्त अधिनियम में शुद्ध कृषि आय की संगणना के लिए नियमों के अनुसार हानियों के समायोजन के अधीन रहते हुए) ।	
7.	घटाइए : पूर्व वर्ष की कृषि संबंधी आय पर राज्य सरकार को संदेय कृषि आय-कर ।	
8.	पृष्ठ 1 पर मद 13 में ले जाई गई शुद्ध कृषि आय (6–7))	

टिप्पण : उपरोक्त मद 1 से 5 के सामने दिखलायी गई कृषि आय की ब्यौरेवार संगणना देते हुए पृथक् विवरण संलग्न करें ।

सुसंगत वित्त अधिनियम के नियमों के अनुसार संगणना की जानी है ।" ;

(ङ) यथा पुनराक्षरित उपाबंध झ में,—

(i) भाग 1 में, मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :—

"2. किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दिशा में, क्या कुटुम्ब में कम से कम एक ऐसा सदस्य है जिसकी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर ना में हो तो कृपया हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सभी सदस्यों से इस आशय की घोषणाएं संलग्न करें ।" ;

(ii) भाग 2 के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात :—

"भाग 2 : पूर्व वर्ष के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के दायित्व से संबंधित विशिष्टियां

	धारा के अधीन						
	192	193	194क	194ख	194ग	194घ	195
1. क्या आप स्रोत पर कर की कटौती के जिम्मेदार थे ?							
2. क्या ऐसे कर की कटौती स्रोत पर की गई है ?							
3. क्या ऐसा कर केन्द्रीय सरकार को संदत्त किया गया है ?							
4. क्या विहित विवरणियां संबद्ध आय कर अधिकारी (अधिकारियों) को दी गई है ? यदि हां तो किसको ?							

(3) प्ररूप सं० 3 में,—

(क) भाग 1 में,—

(i) "कुल आय (जिसके अन्तर्गत अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन की आय भी है) का विवरण" विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात :—

"कुल आय (जिसके अन्तर्गत अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन की आय भी है) और शुद्ध कृषि आय का विवरण" ;

(ii) मद 11 के पश्चात निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"12. शुद्ध कृषि आय

(उपाबन्ध ङ० देखिए)" ;

(ख) भाग 2 में, मद 6 को मद 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः-संख्यांकित मद 7 के पूर्व निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"6. बीमा कमीशन" ;

(ग) उपाबन्ध ङ० को उपाबन्ध च के रूप में पुनरीक्षित किया जाएगा और इस प्रकार पुनरीक्षित उपाबन्ध च के पूर्व निम्नलिखित उपाबन्ध अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"उपाबन्ध ङ० : शुद्ध कृषि आय की संगणना (सहकारी सोसाइटियों, रजिस्ट्रीकृत फर्मों या स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न निर्धारितियों के लिए)

क्रम सं०	विशिष्टियां	रकम
1	2	3
1	कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से व्युत्पन्न भाटक या आमदनी। [धारा 2 (1) (क) देखिए]	
2	कृषक, आदि द्वारा निवास गृह के रूप में अपेक्षित किसी भवन से आय। [धारा 2 (1) (ग) देखिए]	
3	अन्य कृषि संबंधी आय, जो मद 4 से निर्दिष्ट चाय के विक्रय से आय न हो। [धारा 2 (1) (ख) और (ग) देखिए]	
4	नियम 8 के अधीन यथा संगणित भारत में उगाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय का साठ प्रतिशत।	
5	सुसंगत वित्त अधिनियम में शुद्ध कृषि आय की संगणना के लिए नियमों के अनुसार संगणित रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति—संगम, आदि से कृषि संबंधी आय का अंश।	
6	मद 1 से 5 का योग (सुसंगत वित्त अधिनियम में शुद्ध कृषि संबन्धी आय की संगणना के लिए नियमों के अनुसार हानियों के समायोजन के अधीन रहते हुए)।	
7	घटाइए : पूर्व वर्ष की कृषि संबंधी आय पर राज्य सरकार को संदेय कृषि आय कर।	
8	पृष्ठ 1 पर मद 12 में ले जाई गई शुद्ध कृषि आय (6—7)।	

टिप्पण.—उपरोक्त 1 से 5 के सामने दिखलायी गई कृषि आय की ब्यौरेवार संगणना देते हुए पृथक् विवरण संलग्न करें। सुसंगत वित्त अधिनियम के नियमों के अनुसार संगणना की जानी है।" ;

(घ) यथा पुनराक्षरित उपाबन्ध च में, मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :–

"2. किस हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, क्या कुटुम्ब में कम से कम एक ऐसा सदस्य है जिसकी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो आय कर के लिए प्रभार्य नहीं है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर ना में हो तो कृपया हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सभी सदस्यों से इस आशय की घोषणाएं संलग्न करें ।" ;

(4) प्ररूप सं० 3 क में,–

(क) भाग 1 में,—

(i) "कुल आय का विवरण" विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"कुल आय और शुद्ध कृषि आय का विवरण" ;

(ii) मद 15 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"16. शुद्ध कृषि आय

(उपाबन्ध ञ देखिए)" ;

(ख) उपाबन्ध च में, भाग 2 में, "कटौती कीजिए : धारा 53 या 54 के अधीन छूट प्राप्त रकम" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर

"कटौती कीजिए : धारा 53, 54ख या 54घ के अधीन छूट प्राप्त रकम" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपाबन्ध ञ को उपाबन्ध ट के रूप में पुनराक्षरित किया जाएगा और इस प्रकार पुनराक्षरित उपाबन्ध ट के पूर्व निम्नलिखित उपाबन्ध अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबन्ध ञ : शुद्ध कृषि आय की संगणना (सहकारी सोसाइटियों, रजिस्ट्रीकृत फर्मों या स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न निर्धारितियों के लिए)

क्रम सं०	विशिष्टियां	रकम
1	2	3
1	कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से व्युत्पन्न भाटक या आमदनी । [धारा 2(1) (क) देखिए]	
2	कृषक, आदि द्वारा निवासगृह के रूप में अपेक्षित किसी भवन से आय । [धारा 2(1) (ग) देखिए]	
3	अन्य कृषि संबंधी आय, जो मद 4 में निर्दिष्ट चाय के विक्रय से आय न हो । [धारा 2(1) (ख) और (ग) देखिए]	

1	2	3
4	नियम 8 के अधीन यथा संगणित भारत में उगाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय का साठ प्रतिशत ।	
5	सुसंगत वित्त अधिनियम में शुद्ध कृषि आय की संगणना के लिए नियमों के अनुसार संगणित रजिस्ट्रीकृत फर्म/अरजिस्ट्रीकृत फर्म/व्यक्ति संगम आदि से कृषि संबंधी आय का अंश ।	
6	मद 1 से 5 का योग (सुसंगत वित्त अधिनियम में शुद्ध कृषि संबंधी आय की संगणना के लिए नियमों के अनुसार हानियों के समायोजन के अधीन रहते हुए) ।	
7	घटाइए : पूर्व वर्ष की कृषि संबंधी आय पर राज्य सरकार को संदेय कृषि आय कर ।	
8	पृष्ठ 2 पर मद 16 में ले जाई गई शुद्ध कृषि आय (6–7) ।	

टिप्पण.—उपरोक्त 1 से 5 के सामने दिखलायी गई कृषि आय की ब्यौरेवार संगणना देते हुए पृथक् विवरण संलग्न करें । सुसंगत वित्त अधिनियम के नियमों के अनुसार संगणना की जानी है ।" ।

[सं० 615, फा० सं० 142(24)/73-टी पी एल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974